आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना।

भाड़े पर वाहन लेने हेतु निविदा, प्रारूप एवं शर्त्तें।

संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा पटना केन्द्र पर प्रत्येक वर्ष निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा का आयोजन किया जाता है। आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना को आयोग द्वारा आयोजित होनेवाली सभी परीक्षाओं के सुचारू एवं सफल संचालन हेतु वातानुकूलित/गैर वातानुकूलित वाहनों की आवश्यकता होती है। इस निमित्त निम्नांकित शर्त्तो के अधीन इच्छुक एजेन्सी/वाहन मालिकों से मुहर/सील बन्द निविदा (**तकनीकी एवं वित्तीय अगल–अलग लिफाफे में**) आमंत्रित किए जाते है :–

1. भाड़े का वाहन प्रतिघंटा/कि0मी0 की दर पर (ईधन, चालक एवं अन्य अनुमान्य कटौतियों यथा आयकर, जी0एस0टी0 इत्यादि सहित) लिया जाएगा एवं वाहन का **व्यावसायिक निबंधन** अनिवार्य है।
2. एजेंसी/वाहन मालिक के पास **GST निबंधन तथा PAN** का होना आवश्यक है।
3. वाहन का किराया सभी कर एवं कटौती सहित संलग्न **प्रारूप में टंकित रूप में** देना है।
4. भाड़े के वाहन का रख–रखाव का दायित्व वाहन मालिक/एजेंसी का होगा एवं चालक के पास सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत ड्राईविंग लाईसेंस अनिवार्य होगा।
5. हवाई अड्डा पर पार्किंग शुल्क एवं टॉल टैक्स का भुगतान वाहन मालिक/एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
6. कार्य अवधि/ड्यूटी के दौरान वाहन में किसी प्रकार की क्षति, दुर्घटना एवं चालक को किसी प्रकार क्षति/हानि होने पर उसकी सारी जिम्मेवारी वाहन मालिक/एजेंसी का होगा।
7. ड्यूटी के दौरान चालक अच्छी तरह से तैयार होकर साफ कपड़े पहनकर रहेगे एवं उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए।
8. ड्यूटी के दौरान चालक गुटका, पान, तम्बाकू इत्यादि सहित किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करेगा।
9. ड्यूटी के दौरान पदाधिकारी के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए वाहन/एजेंसी मालिक चालक को समय–समय पर निदेशित करते रहेंगे। किसी प्रकार का प्रतिकूल व्यवहार पाये जाने पर ड्राईवर एवं वाहन/एजेंसी मालिक पर आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा।
10. आवश्यकतानुसार वाहन अल्प सूचना पर भी ससमय उपलब्ध कराना होगा।
11. किसी प्रकार की अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

12. वाहन मालिक/एजेंसी को कार्यालय द्वारा निदेश के आलोक में मांग के अनुरूप निर्धारित तिथि एवं स्थान पर वाहनों को ससमय उपलब्ध कराना होगा। मांग के अनुरूप निर्धारित तिथि एवं स्थान पर ससमय वाहन उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित वाहन मालिक/एजेंसी के विरूद्ध आवश्यक कानूनी/दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

13. परीक्षा संबंधी कार्यो में उपर्युक्त वाहनों में किसी प्रकार के कठिनाई/खराब होने की स्थिति में उसके बदले अविलम्ब वैकल्पिक वाहन, जो 05 (पॉच) साल से पुरानी नहीं हो, की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए अतिरिक्त किराया नहीं दिया जाएगा।

14. वाहन से संबंधित कागजात यथा टैक्स/बीमा/प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत अद्यतन होना चाहिए, जिसकी जिम्मेवारी पूर्णतया वाहन मालिक/एजेंसी का होगा।

15. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सरकारी उपक्रम/निगम या किसी भी अन्य संस्थान द्वारा काली सूची में एवं किसी अपराधिक मामलों में नाम दर्ज नहीं होने का शपथ–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा (Notarized Affidavit)।

16. वाहन मालिक को वाहन किराये का भुगतान, अभिश्रव उपलब्ध कराने पर किया जाएगा।

17. निविदा के साथ संलग्न सभी अभिलेख स्वतः अभिप्रमाणित होनी चाहिए तथा इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि संलग्न सभी अभिलेख सही है।

18. वाहन मालिक/एजेंसी को किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी उपक्रम में वाहन आपूर्ति करने का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव प्रमाण–पत्र एवं केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन किसी भी आयोग/निकाय/एजेंसी के द्वारा आयोजित परीक्षा संबंधी कार्य हेतु वाहनों की आपूर्ति करने का कार्यानुभव/संबंधित पत्र उपलब्ध कराना होगा।

19. वाहन मालिक/एजेंसी द्वारा पिछले तीन वर्षो का दाखिल किए गए आयकर रिटर्न से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

20. निविदा के साथ **25000/–(पच्चीस हजार) रूपया** मात्र का **बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट** जो **आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना के नाम से भुगतेय** हो, संलग्न करना होगा। निविदा में असफल निविदा दाताओं को उक्त राशि को लौटा दिया जाएगा।

21. इच्छुक वाहन मालिक/एजेंसी सभी वांछित अभिलेख सहित कम्प्युटर टंकित आवेदन **निविदा प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर** आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना में मुहरबंद लिफाफे में जमा कर सकते हैं। तकनीकी और वित्तीय निविदा दो अलग–अलग बंद लिफाफे मे होनी चाहिए, जिस पर स्पष्ट रूप से तकनीकी तथा वित्तीय निविदा तथा निविदा दाता का नाम अंकित होना चाहिए। तकनीकी तथा वित्तीय निविदा के अलग–अलग लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में बंद कर जमा करना होगा। इस लिफाफे पर भी निविदा दाता का नाम, पता एवं एजेंसी का मोहर अंकित होना चाहिए।

22. प्राप्त सभी निविदा को **दिनांक**...15/12/26...**को अपराह्न**...03.....**बजे** तक आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना के सभा–कक्ष में गठित निविदा समिति के समक्ष खोला जाएगा, जिसमें वाहन/एजेंसी मालिक स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। एजेंसी/वाहन मालिक निविदा खोलने के समय संलग्न अभिलेखों की मूलप्रति साथ लायेंगे तथा ताकि आवश्यकता पड़ने पर जमा किये गये अभिलेखों का मिलान मूलप्रति के साथ किया जा सके।

23. तकनीकी निविदा में सफल होनेवाले निविदा दाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।

24. निविदा को बिना कारण बताये किसी भी समय अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सुरक्षित रहेगा।

25. निविदा में चयनित वाहन मालिक/एजेंसी का सेवा अनुकूल/संतोषप्रद नहीं पाई जाती है, तो उक्त एजेंसी/वाहन मालिक को काली सूची में डाला जा सकता है।

26. चयनित एजेंसी L1 को एक सप्ताह के अंदर एकरारनामा करना होगा, यदि चयनित एजेंसी L1 एकरारनामा के शर्तो को पूरा करने में असफल अथवा इंकार करते है, तो L1 के दर पर चयनित एजेंसी के स्थान पर वाहन लेने हेतु L2 अथवा L3 से L1 के दर पर एकरारनामा करने हेतु कार्यालय स्वतंत्र होगा तथा L1 चयनित एजेंसी के बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट की राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

27. यह अनुबंध एकरारनामा की तिथि से एक वर्ष के लिए होगा। एकरारनामा के नियम एवं शर्तो के अनुरूप कार्य संतोषप्रद रहने पर अवधि विस्तार किया जा सकेगा।

15/12/26

आयुक्त के सचिव,
पटना प्रमंडल, पटना।

वित्तीय निविदा

(विहित प्रपत्र)

क्र0 सं0	वाहन का प्रकार		दर (राशि रूपया में) ईधन, चालक, रख–रखाव एव अनुमान्य सभी कर सहित					
			04 घंटा/ (35 कि0 मी0) दर प्रतिदिन (चालक, ईधन एवं सभी कर सहित)	08 घंटा/(60 कि0 मी0) दर प्रतिदिन (चालक, ईधन एवं सभी कर सहित)	12 घंटा/ (100 कि0 मी0) दर प्रतिदिन (चालक, ईधन एवं सभी कर सहित)	14 घंटा/ (120 कि0 मी0) दर प्रतिदिन (चालक, ईधन एवं सभी कर सहित)	अतिरिक्त प्रति कि0 मी0 का दर	अतिरिक्त प्रति घंटा का दर
1.	Swift Dzire /Honda city, Amaze/ Baleno	AC						
2.	Scorpio/ Tata Safari Storme/ Toyota Innova/ Ertiga	AC						
3.	Toyota Innova Crysta	AC						

	हल्का माल वाहक
क्र0 सं0	वाहन का प्रकार / दर प्रतिदिन ईधन सहित एवं चालक सहित (सभी कर सहित)
1.	हल्का माल वाहक सकलयान **(पीकअप भान)** Non AC

नोट :– यदि अतिरिक्त कि0मी0 एवं अतिरिक्त घंटा, दोनो की स्थिति उत्पन्न होती है, तो दोनो में से जिस मद में देय राशि अधिक होगी, केवल उसी अधिक राशि का भुगतान किया जाएगा। दोनों मदो की राशि को जोड़कर भुगतान नहीं किया जाएगा।

नोट :– तकनीकी निविदा के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची :–

1. आवेदन
2. PAN & GST
3. काली सूची/अपराधिक मामला में नहीं होने का शपथ पत्र (मूल में)।
4. संलग्न अभिलेख की सत्यता के संबंध में शपथ–पत्र (मूल में)।
5. कार्य अनुभव से संबंधित पत्र।
6. विगत तीन वर्षो का आयकर रिटर्न।
7. 25000/–रूपये का बैंक ड्राफ्ट।

निविदा दाता का हस्ताक्षर

निविदा दाता का नाम/एजेंसी का नाम (मोहर सहित)